

तारीख हुकम

26.3.21

उभय पक्ष उपस्थित पीठारसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26.3.21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8.6.21

उभय पक्ष उपस्थित पीठारसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8.6.21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20.7.21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया, तहसीलदार माण्डल द्वारा मौक़ा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.पठ किया गया। उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 29.7.21 को पेश हो।

29.7.21

उभय पक्ष उपस्थित पीठारसीन कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.7.21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

5.8.21

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 10.8.21 को पेश हो।

10.8.21

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इच्छा व्यक्त की। मैंने पत्रावली का आवलोकन किया तथा उभयपक्षों

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

की बहस पर मनन किया, तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट व पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में स्थित होकर प्रार्थी का नाम आरिफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हमीफ के नाम संयुक्त सहस्वातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत जमावेदीया सवत 2012-2015 से होती है, प्रस्तुत हस्तावेजो एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी का नाम आरिफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हमीफ के बजाय मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद हमीफ ही पा नाम अंकित करवाना चाहता है जिसकी ताईद प्रस्तुत आधार कार्ड की फोटो प्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति, ड्राइवर लाइसेन्स की फोटो प्रति, पैनकार्ड की फोटो प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की फोटो प्रति, जाति प्रमाणपत्र व मूल निवास के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, अन्य पिछडा जाति का प्रमाणपत्र की फोटो प्रति, व अन्य श्वाते की जमावेदीया सवत 2016-2019 एवं सहस्वातेदारो की सहमति आदि से होती है, उसी के अनुसार प्रार्थी का नाम अंकित करवाना चाहता है, ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड में भिन्नता नही हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती है, अतः

∴ ∴ आदेश ∴ ∴

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील - माण्डल

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही भय इमिडापल्या उज्ज

जिला-भीलवाडा में स्थित आराजी नं० 1334/1
में रकबा 02 बिस्वा, आराजी नं० 1353 में रकबा
02 बिस्वा, आराजी नं० 1355 रकबा 01 बिस्वा,
आराजी नं० 2918/1701 रकबा 10 बिस्वा आराजी
नं० 1433 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नं०
1434 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नं० 1512 रकबा
01 बीघा, आराजी नं० 1513 रकबा 10 बिस्वा आराजी
नं० 1514 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नं०
1515 रकबा 01 बीघा, आराजी नं० 1334/4 रकबा
17 बिस्वा, आराजी नं० 1335 रकबा 02 बीघा, आराजी
नं० 1356 रकबा 10 बिस्वा उक्त भूमि के राजस्व
रेकार्ड में प्रार्थी का नाम आरिफ मोहम्मद पुत्र
मोहम्मद हनीफ के बजाय मोहम्मद आरिफ पुत्र
मोहम्मद हनीफ हीपा अंकित किये जाने का आदेश
दिया जाता है, उसी अनुसार भूमि में प्रार्थी का
नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार
माण्डल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।
पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल
को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फौसल
शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाडा